संख्या:-10/615/11-2-2016-9(32)/09

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 06 मई, 2016

विषय : ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक) हेतु ईंट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1843/ग्यारह-2-2015-9(32)/09 दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक) के लिये समाधान योजना निर्गत की गयी थी।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश द्वारा ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01-10-2015 से दिनांक 30-09-2016 तक) के लिये निर्गत समाधान योजना को शासन द्वारा निम्न सीमा तक संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

''सीजन वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.10.2015 से 30.9.2016 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि, सीजन वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशियों में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आगणित की जायेगी। समाधान राशि रू0 100 के पूर्णांक के रूप में निर्धारित की जायेगी। सीजन वर्ष 2015-16 की समाधान योजना के विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र व्यापारी द्वारा इस शासनादेश की तिथि के 07 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। समाधान प्रार्थना पत्र के साथ सीजन वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित समाधान धनराशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। समाधान योजना के विकल्प हेतु बढ़ायी गयी उक्त तिथि तक देय समाधान की किश्तों पर उक्त तिथि तक कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।